

प्रेषक

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद- कौशाम्बी।

पत्रांक: एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019-20/ 4314 दिनांक 16.08.2019

विषय: राज्य स्तरीय दल द्वारा माह जुलाई, 2019 में किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 22.07.2019 से 24.07.2019 को राज्य स्तरीय टीम के द्वारा जनपद कौशाम्बी के चिकित्सकीय इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण किया गया। स्थलीय पर्यवेक्षण के आधार पर भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

उक्त के क्रम में संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर एस०पी०एम०यू० कार्यालय को उपलब्ध करायें।

अतः आपसे अनुरोध है कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान दृष्टिगत बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुये अपने जनपद की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर उनका निराकरण शीघ्र कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक-पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीया
(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक: एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019-20/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1. अपर मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, एस०पी०एम०यू० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, जनपद कौशाम्बी।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक, अनुभागाध्यक्ष एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० उ०प्र०।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, प्रयागराज मण्डल।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद कौशाम्बी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

प्रेषक

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद- कौशाम्बी।

पत्रांक: एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019-20/

दिनांक 16.08.2019

विषय: राज्य स्तरीय दल द्वारा माह जुलाई, 2019 में किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 22.07.2019 से 24.07.2019 को राज्य स्तरीय टीम के द्वारा जनपद कौशाम्बी के चिकित्सकीय इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण किया गया। स्थलीय पर्यवेक्षण के आधार पर भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

उक्त के क्रम में संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर एस०पी०एम०यू० कार्यालय को उपलब्ध करायें।

अतः आपसे अनुरोध है कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान दृष्टिगत बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुये अपने जनपद की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर उनका निराकरण शीघ्र कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक-पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीया

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक: एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019-20/4314-6 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1. अपर मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, एस०पी०एम०यू० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, जनपद कौशाम्बी।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक, अनुभागाध्यक्ष एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० उ०प्र०।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, प्रयागराज मण्डल।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद कौशाम्बी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण

जनपद- कौशाम्बी

दिनांक- 22.07.2019 से 24.07.2019

पर्यवेक्षक-

1. डा0 वेदप्रकाश, महाप्रबन्धक (आर0आई0 एण्ड सी0एच0)/ मण्डलीय नोडल अधिकारी, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
2. इ0 रनधीर सिंह, सहायक अभियन्ता, निर्माण अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
3. श्री आर0एस0 चौरसिया, स्टेट कंसल्टेन्ट, (क्वालिटी एश्योरेन्स), ब्यू0ए0 अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
4. श्री सान्तनु लाल गुप्ता, ऑडिट ऑफिसर, वित्त अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।

मिशन निर्देशक, एन0एच0एम0 के पत्रांक एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड.ई/2018-19/18/ दिनांक .07.2019 में प्रदत्त निर्देशानुसार उपरोक्त पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 22.07.2019 तथा 24.07.2019 को जनपद कौशाम्बी के निम्नांकित चिकित्सा इकाइयों/सामुदायिक स्तर कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण किया गया-

- दिनांक 22.07.2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कडा का पर्यवेक्षण किया गया।
- दिनांक 23.07.2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिराथू एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय का पर्यवेक्षण किया गया।
- दिनांक 24.07.2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांधीनगर मंझनपुर तथा वी0एच0एन0डी0 सत्र, गडारियन एवं सोखदा (बजाहा उपकेन्द्र के अन्तर्गत) मूरतगंज का पर्यवेक्षण किया गया।

दिनांक	प्रमुख कमियाँ	अपेक्षित कार्यवाही
प्रथम दिवस दिनांक 22.07.2019	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कडा</p> <ul style="list-style-type: none"> • मुख्य सड़क से चिकित्सा इकाई की सर्म्पक सड़क अत्यन्त सकरी तथा केन्द्र के आस-पास जल भराव था। • वार्ड में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति (इनवर्टर एवं जेनेटर) नहीं थी। • 30 शैय्यायुक्त एम0सी0एच0 विंग में मानव संसाधन एवं उपकरण की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूर्णतः क्रियाशील नहीं है। उपलब्ध संसाधनों से ही संचालित किया जा रहा है • टिकाकरण का माइक्रो प्लान नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है। हेपेटाइटिस-बी वैकसीन की उपलब्धता गत कुछ दिनों से नहीं है। • कोल्ड चैन हैण्डलर के इनसेटिव का भुगतान अप्रैल माह से नहीं हुआ। • चिकित्सा अधिकारी को एच0एम0आई0एस0 के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत ज्ञात नहीं है। • वी0एच0एन0डी0 पर्यवेक्षण की कोई योजना उपलब्ध नहीं थी। • नियमित टीकाकरण सम्बन्धित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त उपलब्ध नहीं थे। • चिकित्सा अधिकारी तथा वी0सी0पी0एम0 द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में रुचि नहीं ली जा रही है। • एन0बी0एस0यू0 क्रियाशील नहीं है। एन0बी0एस0यू0 में मात्र एक स्टॉफ नर्स तैनात है। • पेय जल की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> • स्थानिय प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से सम्पर्क करके सड़क निर्माण एवं जलभराव की समस्या का निराकरण किये जाये। • वार्ड में इनवर्टर एवं जेनेटर का कनेक्सन सुनिश्चित किया जाये तथा विद्युत कटौती होने पर निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। • उपकरणों के क्रय एवं मॉग करके एम0सी0एच0 विंग की क्रियाशीलता शीघ्र सुनिश्चित किया जाये। • निर्धारित प्रारूप पर टीकाकरण माइक्रोप्लान बनाना सुनिश्चित किया जाये। एम0ओ0 द्वारा नियमितरूप से एच0एम0आई0एस0 पर इट्री सुनिश्चित की जाये। • वी0एच0एन0डी0 पर्यवेक्षण सुनिश्चित करायी जाये।

• माह जून में कुल 180 सामान्य प्रसव हुये, जिनमें से 01 नवजात Still Birth हुई। लेबर रूम की जोनिंग नहीं की गयी है। बायोलॉजिकल इन्डीकेटर का उपयोग ऑटोक्लेविन में नहीं किया जा रहा है।

- आई0ई0सी0/समस्त प्रोटोकाल पोस्टर की कमी पायी गयी।
- PNC Ward 04 बेड का है। वार्ड से अटैज शौचालय में सीस्टर्न क्रियाशील नहीं था।
- जनपद स्तर से सेवा प्रदाता चिन्हित न होने के कारण क्लीनिंग और स्वीपिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

वित्त से सम्बन्धित

• इकाई पर लिपिक की तैनाती न होने के कारण आई0ओ0 के द्वारा वैकल्पिक रूप से कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण वित्तीय कार्यों में कठिनाईयाँ हो रही है।

1. जे0एस0वाई0 चेक निर्गत रजिस्टर उचित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया एवं रजिस्टर की स्थिति दयनीय बनी हुई है।

(i). जननी सुरक्षा योजना के निम्न भुगतान PFMS चेक करने पर भुगतान दो बार पाये गये:-

Date of Payment /Credit	Beneficiary Name	S.No (Payment)	Amount (In Actuals)	Beneficiary Type	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
29/05/2019	manisha	1	1,400.00	Mother	13088100007542	BANK OF BARODA
04/07/2019		2	1,400.00	Mother	13088100007542	BANK OF BARODA
28/05/2019	shunita	1	1,400.00	Mother	53020100014150	BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
04/07/2019		2	1,400.00	Mother	53020100014150	BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK

2. ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा वित्तीय वर्ष 1.04.2019 से 24.07.2019 (4 माह) तक की कैश बुक तैयार नहीं की गयी है। जोकि एक गभिर वित्तीय अनियमितता का घटक है।

3. कैशबुक के दैनिक अवशेष का सत्यापन चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा वित्तीय वर्ष 1.04.2019 से 30.06.2019 (3 माह) माहवार बैंक समाधान विवरण भी तैयार नहीं किया जा रहा है।

4. पी0एफ0एम0स0 रजिस्टर निर्धारित मानक के अनुसार नहीं रखा गया है।

5. वाउचर यथोचित सर्पोटिंग्स के साथ क्रम से पत्रावली में अभिरक्षित नहीं किये जा रहे हैं।

• एन0बी0एस0यू0 के रडिएन्ट वार्मर को स्थापित करके, उपयोगिता सुनिश्चित किया जाये।

• पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण, जल संस्थान को सैम्पल भेजकर 6 माह में एक बार अवश्य करा ली जाये।

• लेबर रूम की मानकानुसार 4 जोर की मार्लिंग की जाये तथा ऑटोक्लेविंग प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु केमिकल इंडीकेटर्स के क्रय का करके उपयोग किया जाये।

• सभी कार्यक्रमों की आई0ई0सी0 निर्धारित प्रोटाइप प्रिन्ट करके आवश्यक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में प्रदर्शित किया जाये।

• शौचालय के सिस्टर्न को ठीक कराकर, शौचालय में जल आपूर्ति एस स्वच्छता सुनिश्चित की जाये।

• मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से लिपिक की तैनाती अथवा सप्ताह में कुछ दिन किसी लिपिक की ड्यूटी लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था की जाये।

